न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शिशुपाल बनाम रामगोपाल वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं.-64/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23.9.21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित [illegible] अधिकारी दौरे/अन्य [illegible] में [illegible]/मीटिंग में है। पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 26.10.21 को पेश हो। आदेश	
26.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-- हांसपुर में पेश हुई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मय पक्षकार उपस्थित। ग्राम पंचायत हांसपुर के शिविर में उपस्थित वादी संख्या 1 शिशुपाल व प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल की पहचान वादी वकील श्री झाबर सिंह भारणी एड0 द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री फूलचन्द सामोता एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश [illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर में इजलास-ए-आम में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) 26/10/21 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–हांसपुर	शिशुपाल रामगोपाल प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:31 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
64/2017	2017/269	21.04.2017	26.10.2021

उनवान

1. शिशपाल पुत्र भूराराम उम्र– 40 साल
2. महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण उम्र– 43 साल
3. रामवतार पुत्र भूराराम उम्र– 55 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल निवासी ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र भूराराम उम्र–60 साल जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल निवासी ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर।
2. रामेश्वर पुत्र भूराराम उम्र–48 साल
3. शंकरलाल पुत्र नारायण उम्र–47 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर

4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री झाबर सिंह भारणी, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री फूलचन्द सामोता, प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 अभिभाषक।
श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी, प्रतिवादी नं. 5 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 4

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:31 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम हांसपुर पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर व खसरा नम्बर 552 रकबा 2.52 हैक्टर जिसमें हिस्सा 1/4 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एंव हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 व वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है एंव हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एंव हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 1.36 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल पुत्र भूरामल के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आपस में एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से प्रकट है। प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार उक्त कृषि भूमियाँ तन् ग्राम डेरावाली ढ़ाणी व तन् ग्राम हांसपुर में स्थित होकर उक्त भूमियाँ वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक व पारिवारिक भूमियाँ है। जिसका पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा करके मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पक्षकारान् के मध्य पारिवारिक बंटवारा लेख दिनांक 01.02.2017 को बिना किसी नशे पते के व स्वतंत्र सहमति से परिवार के पाँच भाईयों के समक्ष लिखवाकर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये थे तथा गवाहान के तौर पर परिवार के पाँच भाईयों के हस्ताक्षर करवा दिये थे। उक्त पारिवारिक बाहमी बंटवारा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 1.36 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की उत्तर दक्षिण लम्बाई में प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर के मध्य भाग में से 1.52 हैक्टर भूमि उत्तर दक्षिण लम्बाई में वादी सं. 3 रामावतार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से शेष बची भूमि 0.87 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 552 रकबा 2.52 हैक्टर सम्पूर्ण वादी संख्या 1 व 2 [illegible] व महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है [illegible] अनुसार मौके पर काबिज होकर पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद है। [illegible] वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:31 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में आवागमन का शामलाती रास्ता 10 फुट चौड़ा भूमि खसरा नम्बर 494 व 543 में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे दर्शित नजरी नक्शानुसार चला आ रहा है। जिसका शामलाती उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त पारिवारिक बाहमी बंटवारा अनुसार ग्राम डेरावाली ढ़ाणी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1753, 1759 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1760 से 1771 कुल किता 12 कुल रकबा 8.57 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण आया है तथा आबादी भूमि में बने मकानात व बाड़ा आया हुआ है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त पारिवारिक बंटवारा अनुसार ही पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्तानुसार पक्षकारान् उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत् वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अर्सा 10 दिन पहले इन्कार हो गये तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 3 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से तहसीलदार श्रीमाधोपुर के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल ने उपस्थित होकर वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। शिविर में उपस्थित वकील वादीगण ने प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में पूर्व में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा आज ही प्रतिवादी रामगोपाल के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा किया गया है। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने ग्राम पंचायत [illegible] में आयोजित शिविर में वादी संख्या 1 एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित [illegible] को स्वीकार करते हुए अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की है। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री [illegible]रित किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:31 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में खसरा नम्बर 494 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 रामगोपाल पुत्र भूरामल के नाम व खसरा नम्बर 543, 552 कुल किता 2 कुल रकबा 5.07 हैक्टर की खातेदारी रामेश्वर, शिशपाल पि0 भूराराम, शंकरलाल, महेन्द्र कुमार पि0 नारायण व रामगोपाल पुत्र भूराराम व रामवतार पिता भूरामल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमियों बाबत प्रतिवादी नं. 5 ने जवाब दावा पेश कर प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा के0सी0सी0 ऋण 135000/– रूपये का प्रतिवादी नं. 5 से लिया जाना तथा बैंक का बकाया ऋण की वसूली की शर्त पर दावा डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों एंव उपस्थित वादी शिशपाल व प्रतिवादी रामगोपाल की सहमति से वादीगण अपनी कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 1.36 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की उत्तर दक्षिण लम्बाई में प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर के मध्य भाग में से 1.52 हैक्टर भूमि उत्तर दक्षिण लम्बाई में वादी सं. 3 रामावतार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से तथा भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से शेष बची भूमि 0.87 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 552 रकबा 2.52 हैक्टर सम्पूर्ण वादी संख्या 1 व 2 शिशपाल पुत्र भूराराम व महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से उक्तानुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी[illegible] [illegible]वाद बाबत् घोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 1.36 हैक्टर सम्पूर्ण व ख[illegible] नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की उत्तर दक्षिण लम्बाई म प्रतिवादी संख्या– 1 रामगोपाल

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर के मध्य भाग में से 1.52 हैक्टर भूमि उत्तर दक्षिण लम्बाई का वादी सं.– 3 रामावतार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से शेष बची भूमि 0.87 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 552 रकबा 2.52 हैक्टर सम्पूर्ण का वादी संख्या– 1 व 2 शिशपाल पुत्र भूराराम व महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में मिन–बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल का बैंक का रहन उसके हक हिस्सा की भूमि पर उपरोक्तानुसार बदस्तूर रखा जावे तथा उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore 26/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– हांसपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– हासंपुर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Rathore 26/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– हांसपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:31 IST
Reason: SelfAttested